न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 56/2024

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
फोटाखां पुत्र अल्फाखां जाति मुसलमान निवासी झडपा उचित मूल्य दुकानदार, मूलाणी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.10.2024 जो विभागीय प्रकरण सं. 38/2024 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री केसराराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदाता स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 16.04.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 38/2024 सरकार बनाम फोटाखां मे पारित निर्णय दिनांक 16.10.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी फोटा खां [illegible] निवासी झडपा उचित मूल्य दुकानदार मूलाणी [illegible] (एफपीएस कोड 13270) का निरीक्षण किये [illegible] गम्भीर अनियमि[illegible] गई है। इस पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनयमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं इसके तहत जारी प्राधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:19:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पत्र की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार–पत्र निलम्बित करते हुए उसके विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर जांच संस्थित की गई। जांच उपरांत अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2024 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 10.12.2024 को प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान अपीलांट अपने रिश्तेदार की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उसको लेकर अस्पताल गुजरात आया हुआ होने के कारण मौके पर उपस्थित नहीं हो सका। अस्पताल इमरजेन्सी कार्य होने के कारण अपने रिश्तेदार के जीवन को बचाना अति आवश्यक कार्य था जिस कारण अपीलांट मौके पर उपस्थित नहीं हो सका। जिस पर निरीक्षक ने बिना भौतिक सत्यापन किये अपीलांट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट पेश कर दी जिस पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही शुरू कर दी तथा अपीलांट के उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट द्वारा कोई राशन सामग्री का गबन नहीं किया गया है अपीलांट द्वारा अपनी पोश मशीन मे 56.58 क्विटल गेहुं का इन्द्राज किया गया था, उसके पश्चात ऑफिस द्वारा अपीलांट से दूसरी बार ओटीपी मांगी गई जिस क[illegible] गेहु की मशीन में डबल एन्ट्री हो जाने से उक्त स्टॉक [illegible] कम होना पाया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा अपना सम्पूर्ण स्टॉक वैकल्पिक व्यवस्था की दुकानदार एलियास पुत्र राणा उचित मूल्य दुकान मूलाणी को सुपूर्द कर दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:19:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

है। अपीलांट के पास कोई स्टॉक उपलब्ध नहीं है मात्र गलत एन्ट्री के कारण पॉश मशीन मे स्टॉक दिख रहे है जबकि वास्तव मे अपीलांट ने सम्पूर्ण स्टॉक सुपूर्द कर दिया है। जबकि अपीलांट द्वारा उचित मूल्य दुकान की सामग्री वितरण किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया फिर भी उतरदाता द्वारा अपीलार्थी को अपना सम्पूर्ण पक्ष रखने का समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा अपीलार्थी का अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बंद कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गलत विवेचन कर निर्णय पारित कर अपीलार्थी की प्राधिकार पेटे जमा समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए उसके जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

5. इसके जवाब मे रेस्पोडेंट की ओर से यह तर्क है कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकानदार को उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित रहने हेतु फोन पर सूचित किया गया, लेकिन उपस्थित नहीं हुए एवं उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। अपीलांट द्वारा पोश मशीन में अंकित मात्रा से 56.58 क्विंटल गेहूं का अस्थाई राशन डीलर को कम हस्तांतरण कर राजकीय सामग्री का गबन किया गया है। उपर्युक्त अनियमितता कर अपीलांट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 14, 18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता [illegible] का कथन है कि अपीलांट अपने रिश्तेदार की तबीयत अचानक खराब होने के कारण मौके पर उपस्थित नहीं हो सका। जिस पर निरीक्षक ने बिना भौतिक सत्यापन किये अपीलांट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट पेश कर दी जिस पर अपीलांट को सुनवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:19:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

का अवसर दिये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही शुरू कर दी तथा अपीलांट के उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट द्वारा अपनी पोश मशीन मे 56.58 क्विटल गेहुं का इन्द्राज किया गया था, उसके पश्चात ऑफिस द्वारा अपीलांट से दूसरी बार ओटीपी मांगी गई जिस कारण उक्त गेहुं की मशीन में डबल एन्ट्री हो जाने से उक्त स्टॉक में 56.58 क्विटल गेहूं कम होना पाया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा उचित मूल्य दुकान की सामग्री वितरण किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया फिर भी उतरदाता द्वारा अपीलार्थी को अपना सम्पूर्ण पक्ष रखने का समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा अपीलार्थी का अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बंद कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गलत विवेचन कर निर्णय पारित किया गया। इस कारण से अपीलांट के विरुद्ध पारित आदेश को अविधिक रूप से पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट की ओर से यह तर्क है कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकानदार को उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित रहने हेतु फोन पर सूचित किया गया, लेकिन उपस्थित नहीं हुए एवं उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। अपीलांट द्वारा पोश मशीन में अंकित मात्रा से 56.58 क्विंटल गेहूं का अस्थाई राशन डीलर को कम हस्तांतरण कर राजकीय सामग्री का गबन किया गया है। उपर्युक्त अनियमितता कर अपीलांट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 14, 18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि पोश [illegible] गलत एन्ट्री होने से डबल एन्ट्री हो गई जिससे वक्त निरीक्षण कम [illegible] तथा उतरदाता द्वारा अपीलार्थी को जवाब हेतु अवसर बंद कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसे मे अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:19:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश में अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसी कोई विभागीय गम्भीर अनियमितता होना प्रकट नहीं होता हैं। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण मे अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर आदेश पारित किया गया है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 38/2024 मे पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निस्तारण करें।

8. आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:19:01 IST
Reason: SelfAttested